

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 17-02-2021 जनपद सिद्धार्थनगर

जनपद सिद्धार्थनगर में गठित एण्टी रोमियो स्क्वाड पुलिस टीम और जनपद के सभी थानों पर गठित टीमों द्वारा जनपद के स्कूल-कॉलेज व भीड़-भाड़ वाले इलाके और पार्क आदि स्थानों पर पाए गए 03 मनचलों एवं शोहदों पर कार्यवाही की गयी।

माननीय मुख्यमंत्री उ.प्र. सरकार द्वारा मिशन शक्ति नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलम्बन के सम्बन्ध में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुक्रम में श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 17.02.2021 को प्रभारी एण्टी रोमियो महिला उ0नि0 श्रीमती संध्या रानी तिवारी तथा समस्त थानों की एण्टी रोमियो टीमों द्वारा एण्टी रोमियो कार्यवाही के अन्तर्गत जनपद के स्कूल-कॉलेज/कोचिंग सेन्टर के पास, पार्क तथा मुख्य सड़को, चौराहों आदि पर चेकिंग की गयी। इस दौरान 03 शोहदे पकड़े गये। शोहदों द्वारा माफी मांगने पर भविष्य में पुनरावृत्ति ना करने की हिदायत देने के बाद छोड़ा गया।

जनपद के विभिन्न कस्बों और गावों तथा विद्यालयों में जागरूकता अभियान चलाया गया। जिसके अंतर्गत आज प्रभारी एण्टी रोमियो स्क्वाड सिद्धार्थ नगर द्वारा अमृत लाल महाविद्यालय उसका बाजार में तथा जनपद में सभी थानों पर गठित टीमों द्वारा विभिन्न संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर अभियान के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया जिसके अंतर्गत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलम्बन में मिशन शक्ति के तहत आपस में एक दूसरे से वार्तालाप किया गया और नारी सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा चलाये जा रहे सेवाएं जैसे 1090 वीमेन पॉवर हेल्पलाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098 चाइल्ड लाइन, 102 स्वास्थ्य सेवा, 108 एम्बुलेंस सेवा और यातायात नियमों के सम्बन्ध जानकारी दी गयी।

एण्टी रोमियो टीम का विवरण-

- 01- महिला उ0नि0 श्रीमती संध्या रानी तिवारी प्रभारी एण्टी रोमियो जनपद सिद्धार्थनगर।
- 02- आरक्षी रामविलास एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर।
- 03- आरक्षी राकेश कुमार यादव एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर।
- 04- महिला आरक्षी रीनू एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर।
- 05- विभिन्न थानों पर गठित एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर।

“प्रतिबंधित पशु वध के अभियुक्त गिरफ्तार”

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों” के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, पुलिस उपाधीक्षक, इटवा के कुशल निर्देशन में अभियान के अन्तर्गत थाना इटवा पुलिस द्वारा आज दिनांक 17.02.2021 को श्री वेद प्रकाश श्रीवास्तव, प्रभारी निरीक्षक इटवा के नेतृत्व में उ.नि. महेश कुमार शर्मा, उ.नि. पप्पू कुमार, हे.का. बृजेश पाण्डेय, का. ज्वाला सिंह, का. शैलेश यादव, का. सर्वेश कुमार को मु.अ.सं. 0028/2021 धारा 3/5ए/8 गोवध अधि. के अभियुक्तगणों के सम्बन्ध में जरिए मुखबीर समय 06.10 बजे सूचना मिली की ग्राम रमवापुर पाठक में स्थित अकडारी पुल के पास तीन लोग बैठे हैं। जिन्होंने ग्राम कलवारी नानाकार में प्रतिबंधित पशुओं के वध कर सर पोखरे में फेंक देने के सम्बन्ध में आपस में बातें कर रहे हैं तत्पश्चात पुलिस टीम द्वारा मुखबीर को साथ लेकर ग्राम रमवापुर पाठक पहुँचा गया जहाँ से मुखबीर इशारा करके हट गया तदोपरान्त पुलिस टीम द्वारा उक्त तीनों लोगों को घेर कर समय 06.30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के उपरान्त पूछताछ करने पर अभियुक्तगणों द्वारा अपने जुर्म को स्वीकार किया गया। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगणों को साथ लेकर प्रतिबंधित पशुओं को काटने वाले औजार की बरामदगी हेतु ले जाया गया। अभियुक्तगणों के द्वारा छिपाये गये औजार (बोक्ता एवं चाकू) को बरामद किया गया। तत्पश्चात थाना आकर अभियुक्तगणों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यावाही करके जेल भेजा गया है।

अभियुक्त –

01. करीमुल्लाह पुत्र जान मोहम्मद
02. शाहरूख पुत्र मो0फारूख
03. जुम्नन पुत्र शाह मोहम्मद निवासीगण ग्राम कलवारी नानकार थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

01. उ.नि. महेश कुमार शर्मा
02. उ.नि. पप्पू कुमार
03. हे.का. बृजेश पाण्डेय
04. का. ज्वाला सिंह
05. का. शैलेश यादव
06. का. सर्वेश कुमार

03

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 17-02-2021 जनपद सिद्धार्थनगर

थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर- 01 अभियुक्त को धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन, श्री राणा महेन्द्र प्रताप क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष श्री जयप्रकाश दुबे के नेतृत्व में आज दिनांक 17.02.2021 को संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने एवं शांति व्यवस्था कायम रखने के दृष्टिगत धारा 151/107/116 सीआरपीसी के अन्तर्गत 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

तथा संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत धारा 107/116 सीआरपीसी के तहत 03 अभियुक्तों की चलानी रिपोर्ट माननीय न्यायालय भेजी गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. सफिक अली पुत्र रमजान अली सा बर्डपुर न 03 टोला भैसहवा थाना मोहाना जनपद सि0नगर उम्र 30 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. उ0नि0 राजकुमार चौधरी थाना मोहाना जिला सि0नगर

2. का0 रतनदीप थाना मोहाना जिला सि0नगर

3. का0 पंकज यादव थाना मोहाना जिला सि0नगर

4. का0 छबिनाथ यादवथाना मोहाना जिला सि0नगर

03

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 17-02-2021 जनपद सिद्धार्थनगर

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी इटवा श्री अजय कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में व शमशेर बहादुर सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना गोलहौरा जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल नेतृत्व में आगामी ग्राम पंचायत सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 16.02.2021 को थाना गोलहौरा पुलिस द्वारा संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने एवं शांति व्यवस्था कायम रखने के दृष्टिगत धारा 107/116 सीआरपीसी के अन्तर्गत 4 मुकदमे में 42 व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई की

04

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 17-02-2021 जनपद सिद्धार्थनगर

“अभियान के तहत नाजायज शराब रखने पर निरोधात्मक कार्यवाही”

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “ अभियान के तहत नाजायज शराब रखने पर चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, पुलिस उपाधीक्षक, इटवा के कुशल निर्देशन में अभियान के अन्तर्गत थाना गोलहौरा पुलिस द्वारा आज दिनांक 17.02.2021को श्री प्रभारी निरीक्षक शमशेर बहादुर सिंह गोलहौरा के नेतृत्व में कार्यवाही का विवरण

1. मु0अ0स0 14/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम

1. जितेंद्र प्रसाद पुत्र रामचंद्र निवासी करही खास थाना गोलहौरा जनपद सिद्धार्थनगर

बरामदगी का विवरण

10लीटर कच्ची नाजायज शराब बरामद